



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-09102021-230279
CG-MH-E-09102021-230279

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 442]
No. 442]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 8, 2021/आश्विन 16, 1943
NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 8, 2021/ASVINA 16, 1943

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 16 सितम्बर, 2021

सं. टीएएमपी/90/2016-पीपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 और 50 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण, एतत् द्वारा पारादीप पत्तन न्यास(पीपीटी) के मौजूदा दरमानों की वैधता अवधि में इसके साथ संलग्न आदेशानुसार वृद्धि करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण
मामला सं. टीएएमपी/90/2016-पीपीटी

पारादीप पत्तन न्यास

आवेदक

कोरम

- (i). श्री टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)
(ii). श्री सुनील कुमार सिंह, सदस्य (आर्थिक)

आदेश

(सितंबर 2021 के 15 वें दिन पारित)

यह मामला पारादीप पत्तन न्यास (पीपीटी) के मौजूदा दरमानों (एसओआर) की वैधता अवधि में वृद्धि से संबंधित है।

2.1. पीपीटी के मौजूदा एसओआर इस प्राधिकरण के आदेश संख्या टीएएमपी/90/2016-पीपीटी दिनांक 15 सितंबर

2017 द्वारा अनुमोदित किये गये थे जिसे भारत के राजपत्र में राजपत्र संख्या 422 के तहत 1 नवंबर 2017 को अधिसूचित किया गया था। आदेश में एसओआर की वैधता 31 मार्च 2019 तक निर्धारित की गई थी। इसके बाद, पीपीटी के मौजूदा एसओआर की वैधता अवधि 30 सितंबर 2019 तक बढ़ा दी गई थी।

2.2. तत्पश्चात, पीपीटी के अनुरोध के आधार पर, इस प्राधिकरण ने अपने आदेश संख्या टीएएमपी/90/2016-पीपीटी दिनांक 10 अक्टूबर 2019 और आदेश संख्या टीएएमपी/90/2016- पीपीटी दिनांक 08 सितंबर 2020 के तहत पीपीटी के मौजूदा प्रशुल्क की वैधता अवधि को एक-एक वर्ष की अवधि के लिए अर्थात् क्रमशः 01 अक्टूबर 2019 से 30 सितंबर 2020 तक और 01 अक्टूबर 2020 से 30 सितंबर 2021 तक बढ़ा दिया था।

3.1. इस पृष्ठभूमि में, पीपीटी ने अपने पत्र सं. एफए/आरई/123/2019/204 दिनांक 18 जून 2021 के अंतर्गत निम्नानुसार उल्लेख किया है:

- (i). पारादीप पत्तन न्यास के अनुरोध के जवाब में, टीएएमपी, पारादीप पत्तन न्यास के मौजूदा दरमानों की वैधता अवधि आगे 01.10.2020 से 30.09.2021 तक एक वर्ष के लिए बढ़ा दी थी।
- (ii). इस संबंध में, प्राधिकरण के समक्ष आगे यह उल्लेख किया गया है कि कोविड-19 महामारी ने हमारे देश की अर्थव्यवस्था सहित, विश्व अर्थव्यवस्था को कुप्रभावित किया है। इसके कुप्रभाव से अब तक कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं रहा है। इस वैश्विक महामारी से उत्पन्न अभूतपूर्व चुनौतियों के कारण लॉजिस्टिक श्रृंखला (चेन) से संबंधित व्यवसाय, अभी भी, आपूर्ति-पक्ष के साथ-साथ सभी श्रेणियों अर्थात् ड्राई बल्क, ब्रेक बल्क, लिक्विड और कंटेनरीकृत कार्गो में मांग-पक्ष में व्यवधानों से जुड़े एक असामान्य और बड़े झटके से गुजर रहे हैं। व्यापारियों, आयातकों, निर्यातकों, पत्तन ऑपरेटरों, शिपिंग लाइनों, ट्रांसपोर्टरों सहित रसद से संबंधित व्यवसायों को व्यापार-कार्य की कम मात्रा के साथ-साथ नकदी प्रवाह के मुद्दों के कारण अपने व्यवसाय को बनाए रखने में बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। एक पत्तन का समग्र विकास पूरी तरह से रसद श्रृंखला(लॉजिस्टिक्स चेन) से संबंधित व्यवसायों की प्रगति पर निर्भर है। इन कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, मंत्रालय ने रसद श्रृंखलाओं की सहायता और पुनर्निर्माण के लिए राहत उपायों को भी प्रदान किए हैं। इसके अलावा पीपीटी ने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए छूट भी बढ़ा दी। कोविड – 19 महामारी के झटके से समुद्री व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव के बाद इसे पूरी तरह से उबरने में और समय लगेगा। साथ ही बदलते तंत्र में व्यापार की उस गतिशीलता को भी गति देने में अधिक समय लगेगा जो इस महामारी के फैलने से पहले विद्यमान थी।
- (iii). पारादीप पत्तन पर निर्माणाधीन पीपीपी परियोजनाओं में भी देरी हो रही है। वैश्विक स्तर पर समग्र व्यापार परिदृश्य में कोविड-19 महामारी के कुप्रभाव के कारण व्यवसाय की मात्रा के वास्तविक प्रत्यावर्तन तक पहुंचना बहुत कठिन है।
- (iv). ऐसी स्थिति में, पीपीटी की ओर से इस समय नये एसओआर लागू करना कठिन होगा। उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए, वर्तमान एसओआर की वैधता अवधि को 01.10.2021 से आगे एक वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाने का अनुरोध किया जाता है।

3.2. तत्पश्चात, पीपीटी ने अपने ईमेल दिनांक 16 जुलाई 2021 के माध्यम से 13 जुलाई 2021 को आयोजित पीपीटी के न्यासी बोर्ड की बैठक संख्या 01/2021-22 की कार्यवाही (कार्यवृत्त) प्रस्तुत की है, जिसमें पीपीटी के वर्तमान एसओआर की वैधता को 1.10.2021 से 30.09.2022 तक एक 1 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।

4. चूंकि पीपीटी के मौजूदा दरमानों की विस्तारित वैधता 30 सितंबर 2021 को समाप्त होने वाली है और पीपीटी द्वारा दायर किए गए प्रस्ताव (भावी) पर कार्रवाई करने के लिए आवश्यक समय को ध्यान में रखते हुए और दरमानों में एक शून्यता से बचने के लिए पीपीटी के मौजूदा दरमानों की वैधता अवधि को 30 सितंबर 2021 से आगे बढ़ाना उचित समझा गया है।

5. परिणामतः और ऊपर दिए गए कारणों और समग्र सोच विचार के आधार पर यह प्राधिकरण पीपीटी के मौजूदा दरमानों की वैधता को एक वर्ष की अवधि के लिए अर्थात् 01 अक्टूबर 2021 से 30 सितंबर 2022 तक या पीपीटी द्वारा दायर किए जाने वाले प्रस्ताव के आधार पर इसके एसओआर में सामान्य संशोधन के लिए नए दरमानों के अनुमोदन तक, जो भी पहले हो, बढ़ाने के लिए इच्छुक है जैसा कि पीपीटी द्वारा अनुरोध किया गया है और इसके न्यासी बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया था। पीपीटी को यह सलाह भी दी जाती है कि वह प्रशुल्क नीति, 2018 का अनुपालन करते हुए 30 जुलाई 2022 तक अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करे।

टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन-III/4/असा./300/2021-22]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

Mumbai, the 16th September, 2021

No. TAMP/90/2016-PPT.—In exercise of the powers conferred by Sections 48 and 50 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby extends the validity of the existing Scale of Rates of the Paradip Port Trust (PPT) as in the Order appended hereto.

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

Case No. TAMP/90/2016-PPT

Paradip Port Trust

Applicant

QUORUM

- (i). Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)
- (ii). Shri. Sunil Kumar Singh, Member (Economic)

ORDER

(Passed on this 15th day of September 2021)

This case relates to the extension of the validity of the existing Scale of Rates (SOR) of the Paradip Port Trust (PPT).

2.1. The existing SOR of PPT was approved by this Authority vide Order No. TAMP/90/2016-PPT dated 15 September 2017 which was notified in the Gazette of India on 1 November 2017 vide Gazette No. 422. The Order prescribed the validity of the SOR till 31 March 2019. Thereafter, the validity of the existing SOR of PPT was extended till 30 September 2019.

2.2. Subsequently, based on the request of PPT, this Authority vide its Order No. TAMP/90/2016-PPT dated 10 October 2019 and Order no. TAMP/90/2016- PPT dated 08 September 2020 has extended the validity of the existing tariff of PPT for a period of 1 year each i.e. from 01 October 2019 to 30 September 2020 & from 01 October 2020 to 30 September 2021 respectively.

3.1. In this backdrop, the PPT vide its letter no. FA/RE/123/2019/204 dated 18 June 2021 has submitted as follows:

- (i). In response to the request of Paradip Port Trust, the TAMP was kind enough to extend the validity of the existing Scale of Rates of Paradip Port Trust for further period of one year from 01.10.2020 to 30.09.2021.

- (ii). In this regard, it is further submitted before the Authority that the COVID-19 pandemic has impacted World Economy including the economy of our country. No sector has been insulated so far from its impact. Due to the unprecedented challenges posed by this global pandemic the logistic chain related businesses are still going through an unusual and massive shock from the disruptions on supply side as well as demand side in all categories i.e. dry bulk, break bulk, liquid and containerized cargo. The logistic related businesses including traders, importers, exporters, port operators, shipping lines, transporters are facing huge challenges in maintaining their businesses due to lower trade volume as well as cash flow issues. The overall growth of a port is fully dependent on the progress of the logistic chain related businesses. Considering these difficulties, Ministry has also extended relief measures to support and rebuild the logistic chains. In addition PPT also extended the remissions in order to cop-up the business. After the adverse impact on the maritime trade by the shock of COVID-19 pandemic it will take further time to recover fully. Also the dynamics of the trade in the changing mechanism will take more time to gear up as seen prior to outbreak this pandemic.
- (iii). The PPP projects under construction at Paradip Port are also getting delayed. The impact of COVID-19 Pandemic on the overall business scenario globally is very difficult to access the actual reversion of the business volume.
- (iv). In such a situation, it will be harsh on the part of PPT to levy the new SOR at this juncture. In view of the above circumstances, it is requested to extend the validity of the present SOR for a further period of one year w.e.f. 01.10.2021.

3.2. Subsequently, the PPT vide its email dated 16 July 2021 has furnished the proceedings of the Board of the Trustees Meeting No. 01/2021-22 of PPT held on 13 July 2021 approving the proposal for extension of validity of the present SOR of PPT for a period of 1 year w.e.f. 1.10.2021 to 30.09.2022.

4. Since the extended validity of the existing Scale of Rates of PPT is about to expire on 30 September 2021 and considering the time required for processing the proposal (to be) filed by the PPT and in order to avoid a vacuum in the Scale of Rates of PPT, it is felt appropriate to extend the validity of the existing Scale of Rates of PPT beyond 30 September 2021.

5. In the result and for the reasons given above and based on the collective application of mind, this Authority is inclined to extend the validity of the existing Scale of Rates of PPT for a period of one year i.e. from 1 October 2021 to 30 September 2022 or till approval of new Scale of Rates for general revision of its SOR based on the proposal to be filed by the PPT, whichever is earlier, as requested by PPT and as approved by its Board of Trustees. The PPT is also advised to file its proposal latest by 30 July 2022, following Tariff Policy, 2018.

T.S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT.-III/4/Exty./300/2021-22]